

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश— प्रथम — सह विशेष न्यायाधीश, बक्सर

SC/ST – 24/16

सरकार
बनाम
गौरी सिंह

22.01.2020 – अभियुक्त गौरी सिंह अनुपस्थित है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अधीपत्र एवं प्रोसेस 82, 83 निर्गत किया गया है, फिर भी अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। प्रतीत होता है कि अभियुक्त की उपस्थिति निकट भविष्य में संभव नहीं है। वाद वर्ष 2004 का है। अतः अभियुक्त गौरी सिंह को फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय अभियुक्त गौरी सिंह के विरुद्ध स्थाई अधीपत्र निर्गत करे तथा अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

ए.डी.जे.-1
बक्सर